न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–06, लखीमपुर–खीरी
उपस्थितः अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।

दाण्डिक वाद सं०–794/2007
रजि नं०–700794/2007

CNR NO. UPLP01–000028–2007

उ०प्र० राज्य ––––अभियोगी।

बनाम

1–संजीव कुमार पुत्र ब्रजकिशोर दुबे निवासी ग्राम हैबतपुर कटरा थाना कोतवाली कन्नौज, जनपद कन्नौज।
2–रूपेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० अशोक कुमार गुप्ता निवासी कैमहरा थाना फरधान, जनपद खीरी।
3–विक्रम लोधी पुत्र छिद्दा निवासी मिश्रीपुर थाना कोतवाली कन्नौज, जनपद कन्नौज।
4–सुधीर मिश्रा पुत्र रामप्रकाश मिश्रा थाना सढियापुर थाना कोतवाली कन्नौज, जनपद कन्नौज।
5–विष्णु लोधी पुत्र उजागर निवासी चुरैया थाना कोतवाली कन्नौज, जनपद कन्नौज।
––––अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–2579/2005
धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
थाना–कोतवाली सदर, जिला खीरी।

निर्णय

1– थाना–कोतवाली सदर, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मु०अ०सं०–2579/2005, अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण अनूप कुमार गुप्ता, संजीव कुमार दुबे, विक्रम लोधी, सुधीर मिश्रा, विष्णु लोधी व रूपेश गुप्ता के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2– संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि शातिर अपराधी अनूप कुमार गुप्ता व संजीव कुमार, रूपेश कुमार गुप्ता, विक्रम लोधी, सुधीर मिश्रा व विष्णु लोधी शातिर किस्म के चोर व चंदन की लकड़ी के तस्कर है। उपरोक्त अपराधियों का एक गैंग है, जिसके गैंग का सरगना व सदस्यों के भौतिक लाभ के लिये अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जनपद कन्नौज से आकर जनपद लखीमपुर खीरी में दुर्लभ प्रजाति के बहुमूल्य चंदन की लकड़ी को चोरी से काटकर स्वचलित वाहनो से लादकर इत्र बनाने वाली फैक्ट्री के स्वामीयों को 1500 रूपये से लेकर 2000 रूपये प्रति किलो के भाव से बेचते है। चोरी करते समय व चोरी की हुई चंदन की बहुमूल्य लकड़ी की तस्करी करते समय यदि कोई व्यक्ति या पुलिसजन रोकने का प्रयास करते है, तो उन पर जान से मारने की नीयत से अवैध असलहो से फायर करके मौके पर कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करते है। जिसके कारण आम जनमानस के लोग उपरोक्त गैंग के सरगना एवं उसके सदस्यों से डरते है। कोई इनके विरूद्ध मौखिक व लिखित सूचना अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने को डरवश तैयार नहीं होता है। उपरोक्त सभी अभियुक्तगण अपराधी है। भा०दं०वि० के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत अपराध

करने के अभ्यस्त अपराधी है। उपरोक्त अपराधियों का एक गैंगचार्ट बनाकर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित कराया गया है।

3– वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक वीर सिंह द्वारा दी गयी जुबानी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण अनूप कुमार गुप्ता, संजीव कुमार दुबे, विक्रम लोधी, सुधीर मिश्रा, विष्णु लोधी व रूपेश गुप्ता के विरूद्ध दिनांक 23–12–2005 को समय 16:30 बजे, थाना–कोतवाली सदर, जिला खीरी में मु०अ०सं०–2579/2005, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका इन्द्राज थाने की कायमी जी०डी० में विधिनुसार किया गया।

4– विवेचक द्वारा विवेचना की गयी तथा वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये। विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अनूप कुमार गुप्ता, संजीव कुमार दुबे, विक्रम लोधी, सुधीर मिश्रा, विष्णु लोधी व रूपेश गुप्ता के विरूद्ध मु०अ०सं०–2579/2005, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्त अनूप कुमार गुप्ता की मृत्यु हो जाने के कारण आदेश दिनांकित 02–09–2025 के माध्यम से उसके विरूद्ध इस प्रकरण की कार्यवाही उपशमित की गयी।

6– अभियुक्तगण संजीव कुमार, विक्रम लोधी, सुधीर मिश्रा, विष्णु लोधी व रूपेश गुप्ता के विरूद्ध दिनांक 01–10–2025 को धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के रूप में जगमोहन लाल व पी०डब्लू०–2 के रूप में सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हरेन्द्र कुमार त्यागी को परीक्षित कराया गया।

8– अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर को प्रदर्श क–1 व गैंगचार्ट को प्रदर्श क–2 के रूप में प्रस्तुत कर साबित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी०डी० कार्बन प्रति व आरोप पत्र पत्रावली में संलग्न है, परन्तु जिन्हें अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है।

9– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 09–07–2026 को लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक तथा गवाहान के बयानों को गलत कहते हुए अपने विरूद्ध पुलिस द्वारा काल्पनिक तथ्यों के आधार पर झूठा मुकदमा चलाये जाने का कथन किया गया है।

10– अभियुक्तगण पक्ष को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं०–13 ख के माध्य से आधारभूत मुकदमा मु०अ०–सं०–2348/2005 से सम्बन्धित आलोच्य आदेश दिनांकित 04–02–2026 की प्रतमाणित सत्यप्रतिलिपि दाखिल किया गया है। अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गयाहै।

11– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

12– अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 23–12–2005 से पूर्व भिन्न–भिन्न स्थानों पर अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में उक्त गिरोह के सरगना अथवा सदस्य के रूप में अभियुक्तगण आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित

अपराध जैसे चन्दन की लकड़ी की चोरी, तस्करी, शस्त्र से जान से मारने की नीयत से फायर जैसे अपराध करके अनुचित लात्र प्राप्त कर समाज विरोधी क्रिया कलापो में संलिप्त रहे।

13– अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है। अभियुक्तगण ने गैंगचार्ट में वर्णित अपराध कारित कर लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त किया है और आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाभ प्राप्त कर अवैध सम्पत्ति का अर्जन किया है। गिरोह का क्षेत्र में भय व आंतक है, जिस कारण उसके विरूद्ध कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये ।

14– अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण द्वारा वर्णित अपराधों को कर अर्जित अवैध संपत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषमुक्त किया जाये ।

15– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखने पर प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु परीक्षण योग्य है–

(i)– क्या अभियुक्तगण किसी "गैंग" का सदस्य/ सरगना था ?

(ii)– क्या अभियुक्तगण ने गैंग के रूप में उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–2(ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रियाकलाप किया और अभियुक्तगण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–3 का अपराध कारित किया ?

16– उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1886 की धारा 2 (ख) में ''**गिरोह**'' और धारा 2 (ग) में ''**गिरोहबंद**'' को परिभाषित किया गया है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा–2(ख) और 2(ग) के अनुसार अभियोजन को अपने साक्ष्य से यह साबित करना है कि अभियुक्तगण में से किसी एक अभियुक्तगण ने स्वयं या सभी अभियुक्तों ने सम्मिलित रूप से दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से धारा–2 (ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रिया कलाप किया है। अभियोजन को यह भी साबित करना है कि अभियुक्तगण किसी गिरोह का सदस्या या सरगना या संगठनकर्ता है या वह गिरोह के क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात् दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है या किसी अभियुक्तगण को जिसने क्रियाकलाप किया है, उसे संश्रय देता है।

17– आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह विधि के अन्तर्गत दोषी साबित नहीं हो जाता। अभियोजन पर अपने प्रकरण को साबित करने का प्राथमिक भार होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हितेन पी.दलाल बनाम ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी, (2001) 6 एस.सी.सी. 16, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम म० प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी.सी. 699, रंजीत सिंह ब्रम्हजीत सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 5 एस.सी.सी. 294, एम.एस. नारायन मेनन उर्फ मणी बनाम केरल राज्य और अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 39, राजेश रंजन यादन उर्फ पप्पू यादव बनाम सी.बी.आई. द्वारा निदेशक (2007) 1 एस.सी.सी. 70** के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध जितना गम्भीर होता है, सबूत उतना ही ठोस होना चाहिए। इस प्रकार किसी गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्तगण को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तरीय साक्ष्य का होना आवश्यक है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम बल्देव सिंह (1999) 3 एस.सी.सी. 977 , तथा जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी. सी. 562** के मामलों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

18– विधि व्यवस्था–**अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 1848 तथा हरेन्द्र सरकार बनाम असम राज्य ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि संदेह से परे अपने वाद को सिद्ध करे तथा अभियोजन द्वारा इस गुणवत्ता का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि न्यायाधीश एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह यदि विचार करें तो उपलब्ध साक्ष्य से प्रत्येक परिस्थिति में यह सिद्ध हो कि अभियुक्तगण द्वारा ही अपराध कारित किया गया है, उसके दिमाग में कोई संशय उत्पन्न न हो।

19– विधि व्यवस्था **उ०प्र० राज्य बनाम फूल मियां, 1998(1)जे0 आई 0 सी0 792** में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''सम्बद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके द्वारा किये गये कृत्यों को ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि उसने वास्तविक रूप से वह कृत्य किये हैं, जिसका परिवाद किया गया है।''

20– गैंगचार्ट के अनुसार, अभियुक्त संजीव कुमार के विरूद्ध मु०अ०सं०–2346/05 धारा–379,411 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–2348/05 धारा–147, 148, 149, 307 भा०दं०सं०, अभियुक्त रूपेश कुमार गुप्ता के विरूद्ध मु०अ०सं०–2346/05 धारा–379,411 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–2348/05 धारा–147, 148, 149, 307 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–2340/05 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त विक्रम लोधी के विरूद्ध मु०अ०सं०–2346/05 धारा–379,411 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–2348/05 धारा–147, 148, 149, 307 भा०दं०सं०, अभियुक्त सुधीर मिश्रा के विरूद्ध मु०अ०सं०–2346/05 धारा–379,411 भा०दं०सं०, मु०अ०–सं०–2348/05 धारा–147, 148, 149, 307 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–2350/05 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्त विष्णु लोधी के विरूद्ध मु०अ०सं०–2346/05 धारा–379,411 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–2348/05 धारा–147, 148, 149, 307 भा०दं०सं० थाना कोतवाली कन्नौज, जिला कन्नौज में पंजीकृत हैं।

21– **साक्षी पी०डब्लू०–1 जगमोहन लाल** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिनांक 11–05–2026 में कथन किया है कि, "घटना सन् 2005 की है। गांधी बाल उद्यान कन्या जूनियर हाइस्कूल के प्रांगण में दो कीमती चन्दन के पेड़ लगे थे, जिनको रात में चोर काटकर उठा ले गये थे। कुछ लकड़ी पड़ी रह गयी थी। मैं उस समय विद्यालय का चौकीदार था। मैंने इस सन्दर्भ में थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा लिखाया था। मेरे मुकदमा लिखवाने के बाद पुलिस आयी थी और मुझसे पूछताछ की थी।"

22– प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मैं घटना के समय गांधी बालोद्यान जूनियर हाइस्कूल लखीमपुर खीरी में चौकीदार के पद पर कार्यरत था। गांधी बाल उद्यान में उस समय चन्दन के पेड़ लगे थे, जिसे अज्ञात लोगो ने काटा था, परन्तु लेकर नहीं गये थे। जिस समय पेड़ कटा उस समय एक या डेढ़ बजा होगा। घटना बीस से पच्चीस साल पहले की है। मैंने किसी भी व्यक्ति को पेड़ काटते हुए देखा नहीं था। मैं यह भी नहीं जानता कि अज्ञात लोग किस वाहन से आये थे और किस वाहन से वापस गये थे। मैं गाड़ी का नम्बर भी नहीं जानता हूं। चूंकि मैंने किसी को देखा नहीं था, इसलिये मैं किसी को पहचान भी नहीं सकता। कथित घटना के समय मेरे विद्यालय में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बाबू के पद पर कार्यरत थे। मुझे याद नहीं कि मैंने बाबू को सूचना कैसे दी। बाबू जी ने ही तहरीर लिखी थी। प्रदीप बाबू को मैंने घटना के बाबत बता दिया था। बोल–बोल कर मैने तहरीर नहीं लिखायी थी। मैं नहीं बता सकता कि तहरीर में प्रदीप कुमार ने क्या लिखा था। बाबू जी ने मुझसे कहा था कि मैने तहरीर लिख दी है, इस पर अपने हस्ताक्षर बना दो। मैंने उनके कहने पर अपने हस्ताक्षर बना दिये थे। प्रदीप बाबू तहरीर लेकर कोतवाली सदर लखीमपुर गये ते और रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी। मैं उनके साथ नहीं गया था। विवेचक महोदय ने इस मुकदमें के सम्बन्ध में मेरे कोई बयान नहीं लिये थे और न ही मेरी निशानदेही पर कोई नक्शा नजरी बनाया था। यदि विवेचक ने 161 में मेरे कोई

बयान अंकित किये हो, तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता क्योंकि विवेचक ने मेरे कोई बयान नहीं लिये ते। मैं सन् 2011 से सेवानिवृत्त हो चुका हूं।"

23– साक्षी पी०डब्लू०–1 जगमोहन लाल के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, गांधी बाल उद्यान कन्या जूनियर हाइस्कूल के प्रांगण में दो कीमती चन्दन के पेड़ लगे थे, जिनको रात में चोर काटकर उठा ले गये थे। कुछ लकड़ी पड़ी रह गयी थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० से इंकार करते हुए कहा कि विवेचक ने उसके कोई बयान अंकित किये हो, तो वह उसकी कोई वजह नही बता सकता। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि, "मैंने किसी भी व्यक्ति को पेड़ काटते हुए देखा नहीं था। मैं यह भी नहीं जानता कि अज्ञात लोग किस वाहन से आये थे और किस वाहन से वापस गये थे। मैं गाड़ी का नम्बर भी नहीं जानता हूं। चूंकि मैंने किसी को देखा नहीं था, इसलिये मैं किसी को पहचान भी नहीं सकता।" यहां महत्वपूर्ण है कि उक्त साक्षी ने कथित आधारभूत घटनाक्रम के सम्बन्ध किसी को पेड़ काटते हुए देखे जाने से इंकार करते हुए कथन किया है कि चूंकि जब वह किसी को देखा नहीं है, तो वह किसी को पहचान भी नहीं सकता है। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य में कही भी कोई ऐसा विशिष्ट कथन नहीं आया है, जिससे अभियुक्तगण की संलिप्तता पर किसी प्रकार से कोई प्रकाश पड़ता हो।

24– इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तत्सम्बन्धी मु०अ०सं०–2348/2005, धारा–147,148, 307/149 भा०दं०सं० व 7 क्रि०ए० ला० एक्ट बनाम संजीव कुमार दुबे आदि में विद्वान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–4, लखीमपुर–खीरी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 04–02–2026 की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में वर्तमान प्रकरण के अभियुक्तगण को आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर अधीनियम के अन्तर्गत अभियोजन का मुख्य एवं वास्तविक आधार उक्त आपराधिक प्रकरण भी था, जिसे गैंगचार्ट में सम्मिलित कर वर्तमान अभियोजन पंजीकृत किया गया और उक्त आधारभूत मुकदमें में सक्षम न्यायालय द्वारा विस्तृत परीक्षण उपरान्त अभियुक्तगण को दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आपराधिक प्रकरण से सम्बन्धित मूल तथ्यात्मक आधार, जिस पर गैंगस्टर अभियोजन आधारित था, अस्तित्वहीन हो जाता है।

25– **पी०डब्लू०–2 हरेन्द्र कुमार त्यागी** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिनांक 26–05–2026 में कथन किया है कि, "दिनांक 26.11.2005 को मैं सदर कोतवाली में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। मैं उस समय राजापुर चौकी का प्रभारी था। तत्कालीन एस०एच०ओ० बीर सिंह एस०एस०आई० श्रीकृष्ण चन्द तिवारी, चौकी प्रभारी महेवा श्री नीरज सिंह, कांस्टेबल ओम प्रकाश राय, कांस्टेबल कुर्क छोटेलाल मिश्रा, कांस्टेबल छोटेलाल मिश्रा, कास्टेबल शकील अहमद, चौकी प्रभारी एल०आर०पी० त्रिभुवन प्रसाद वर्मा, कांस्टेबल वीरेन्द्र कुमार सिंह, कांस्टेबल राघवेन्द्र मय सरकारी गाड़ी से साथ में गया था और फर्द के अनुसार 2348/05, 2349/05, 2350/05 विभिन्न धाराओ में पंजीकृत होना बताते हैं। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बीर सिंह मेरे साथ में थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी में तैनात रहे हैं मैंने उनको पढते लिखते देखा है। शामिल पत्रावली तहरीर पर उनके हस्ताक्षर बने हैं मैं उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हू जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। गैंगचार्ट पर भी प्रभारी निरीक्षक तत्कालीन प्रभारी कोतवाली सदर बीर सिंह के हस्ताक्षर बने हैं इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। विवेचक महोदय ने मेरा बयान लिया था।"

26– प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मुझे ध्यान नहीं है कि मैं कोतवाली सदर, लखीमपुर खीरी में कब तैनात हुआ था। दिनाक 26.11.2005 को मैं राजापुर चौकी का प्रभारी था। इस मुकदमें के वादी मुकदमा एस०एच०ओ० वीर सिंह हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि वह जीवित हैं या नहीं। मैंने वीर सिंह के साथ काम किया है, इसलिये उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। मैं गैंग चार्ट में दर्शाये गये मुकदमों में गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी की टीम का सदस्य रहा हूँ। मुझे ध्यान नहीं है कि उन मुकदमों की फर्द बरामदगी पर किस किस ने हस्ताक्षर बनाये थे या नहीं। मुझे इस बात की कोई

जानकारी नहीं है कि गैंगचार्ट में कौन–कौन से मुकदमें दर्शाये गये हैं। यह कहना सही है कि मैं गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमों में गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी की टीम का सदस्य नहीं था इसीलिये मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि कौन–कौन से लोग बरामदगी की टीम में थे।"

27– पी०डब्लू०–2 हरेन्द्र कुमार त्यागी एक औपचारिक साक्षी है, जिनके द्वारा द्वितीयक साक्ष्य के रूप में तहरीर व गैंगचार्ट को साबित किया गया है तथा प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि गैंगचार्ट में कौन–कौन से मुकदमें दर्शाये गये हैं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमों में गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी की टीम का सदस्य नहीं था, इसीलिये उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि कौन–कौन से लोग बरामदगी की टीम में थे। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी मात्र औपचारिक रूप से अभियोजन प्रपत्र को साबित किया है, इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई महत्वपूर्ण बयान नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता दर्शित होती हो अथवा अभियुक्तगण द्वारा अनुचित रूप से कोई अवैध धन अर्जित किया गया हो, इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

28– **Vinod Bihari Lal v. State of U.P., 2025 SCC Online SC 1216,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि गैंगचार्ट और स्वीकृति मात्र औपचारिक "rubber stamp" नहीं हो सकती, सक्षम प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से सामग्री पर विचार करना आवश्यक है।

29– **Vinay Kumar Gupta V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 79679 (Application u/s 482 No.–20422 of 2024) and Kamalveer Singh V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 87524–DB (Criminal Misc. Writ petition No.–16327 of 2024)** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये आधारभूत मुकदमों की स्थिति, आरोप पत्र, लम्बित कार्यवाही और प्रासंगिक सामग्री स्पष्ट होने चाहिये; गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग यांत्रिक ढंग से नहीं किया जा सकता।

30– ये भी विधिक स्थिति है कि यदि आधारभूत मुकदमों का साक्ष्य ही अभियुक्तगण को समाज/ विरोधी गिरोह गतिविधि से नहीं जोड़ता, तो मात्र गैंगचार्ट या पुलिस राय के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसे मामलों में प्रेक्षित किया है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही आधारभूत आपराधिक सामग्री से पृथक होकर शून्य में खड़ी नहीं रह सकती **(maxim–*Sublato Fundamento, cadit opus*) (Ramesh Kumar V. State of U.P., Application u/s 482 No.–358 of 2024)।**

31– अभियोजन की ओर से गैंगचार्ट में वर्णित अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी वादी अथवा पीड़ित साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न की किसी स्वतंत्र साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिससे अभियुक्तगण की कथित घटनाक्रम में संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

32– गैंगस्टर अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मात्र अभियोगित (accused) होने के आधार पर दण्डित करना नहीं है, अपितु ये सिद्ध करना है कि वह व्यक्ति किसी "गैंग" का सदस्य/ लीडर है, संगठित एवं निरन्तर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तथा आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अपराध कर रहा है। जब आधारभूत मुकदमें में अभियुक्तगण की संलिप्तता ही न्यायिक परीक्षण में सिद्ध नहीं हुई, तब उसी घटना के आधार पर गैंग सदस्यता एवं संगठित अपराध का निष्कर्ष निकालना स्पष्टतया विधिसम्मत मानक के विपरीत होगा। अभियोजन ऐसा कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे मूलभूत तथ्य साबित होते हो।

33– न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र जनसाक्षी, सम्भ्रान्त व्यक्ति या पीड़ित प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ये सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण के गिरोह से समाज में वास्तविक भय अथवा आतंक था। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि परीक्षित साक्षी द्वारा

अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही उससे अभियोजन अपने समर्थन में कोई तथ्य निकलवा पाने में सफल रहा है। अतः अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण किसी "गैंग" के सदस्य/ सरगना रहे हो तथा उसने संगठित गैंग के रूप में धारा–2(ख) में वर्णित समाज–विरोधी क्रियाकलाप किया हो। तद्नुसार उक्त बिन्दु अवधारित किये जाते है।

34– इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा उपर्युक्त विधिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्तगण संजीव कुमार, विक्रम लोधी, सुधीर मिश्रा, विष्णु लोधी व रूपेश गुप्ता पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

35– अभियुक्तगण संजीव कुमार, विक्रम लोधी, सुधीर मिश्रा, विष्णु लोधी व रूपेश गुप्ता को दाण्डिक वाद सं०–794/2007, मु०अ०सं०–2579/2005, थाना–कोतवाली सदर, जिला लखीमपुर खीरी में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

36– अभियुक्तगण जमानत पर है। उसके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

37– अभियुक्तगण द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481 के तहत मु० 50,000–50,000/–(पचास–पचास हजार) रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू इस निर्णय की तिथि के 07 दिवस के अन्दर, इस न्यायालय में इस बाबत दाखिल करें कि उन्हें जब कभी इस न्यायालय द्वारा या अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा, तब वे इस न्यायालय में या अन्यथा निर्देशित न्यायालय में उपस्थित होंगे।

दिनांकः 15–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

उक्त निर्णय/ आदेश आज स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 15–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.15 17:09:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court